नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
जारी

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व विविध सं. 09/2012
दायरा तिथि 07.02.2012
आदेश तिथि 27.05.2016

प्रार्थी– **बनामः** **अप्रार्थी–**

1–पूनाराम पुत्र सांकलजी जाति तीरगर
2–श्रीमती सारूदेवी पत्नी पूनाराम जाति
3–नरेन्द्रकुमार पुत्र प्रेमाराम जाति सरगरा
4–श्रीमती अंशीदेवी पत्नी प्रेमाराम जाति सरगरा
निवासीगण सुमेरपर तहसील सुमेरपुर
5–कनीयालाल पुत्र पूनाजी जाति मेगवाल
6–श्रीमती लीला पत्नी कनीयालाल जाति मेगवाल
निवासीगण कानपुरा तहसील सुमेरपुर
7–वीराराम पुत्र वजाराम जाति मेगवाल
निवासी पुराडा तहसील सुमेरपुर
8–हंसाराम पुत्र पूनाजी जाति मेगवाल
निवासी खिन्दारागांव तहसील सुमेरपुर
तमाम ही जरिए आम मुख्त्यार
श्री शीतल अग्रवाल पुत्र बृजमोहनजी
जाति अग्रवाल निवासी सुमेरपुर
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी * सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,131,136 R.L.R.Act,1956

–: आ दे श :–

दिनांक 27.05.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा में बरोज पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का पोमावा ने वादग्रस्त् भूमि के बारे में राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको रेकर्ड पर लिया गया। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत सरहद मौजा पुराडा, पटवार सर्कल पोमावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नं. 605 से बने खसरा नं. 605/1 से लगाय 605/7 का इन्द्राज दिनांक 12.04.2010 के पूर्व नक्शा अनुसार लट्ठा नक्शा ट्रेस में दर्ज करने एवं खसरा नं. 605/943 रकबा 0.58 हेक्टर को भौतिक कब्जे अनुसार खसरा नं. 605 के पूर्व दिशा में खाली पडी जगह पर तरमीम करने व तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आज्ञा चाही है। प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः आम मुख्त्यारनामा दिनांक 09.02.2009, तहसील कार्यालय सुमेरपुर का पत्र क्रमांक–516 दिनांक 12.04.2010, नक्शा ट्रेस पुराना, नक्शा ट्रेस में वर्णित खसरा नं. 605, नक्शा ट्रेस ग्राम पुराडा खसरा नं. 605, 604, नक्शा ट्रेस की प्रति जिला रेकर्ड शाखा से जारी, नामान्तरकरण सं. 348 दिनांक 15.12.1997, ग्राम पुराडा की वर्तमान जमाबंदी व नामान्तरकरण सं. 630 दिनांक 28.02.2009 की प्रतियां पेश हुई।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

(2) कि प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का पोमावा द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण ग्राम पुराडा के मूल खसरा नं. 605 से बने खसरा नं. 605/1 से 605/7 का इन्द्राज तारीख 12.04.2010 के पूर्व नक्शा अनुसार लट्ठा नक्शा ट्रेस में दर्ज करने व खसरा नं. 605/943 रकबा 0.58 हेक्टर जो सिवायचक भूमि है को भौतिक कब्जे अनुसार खसरा नं. 605 के पूर्व दिशा में खाली पडे स्थान पर तरमीम कराना चाहते है इसलिए पत्रावली संलग्न नक्शे अनुसार मूल नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु अनुशंषा व्यक्त की है। चूंकि, पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य दस्तावेज एवं वाद–विषयक स्थिति के बारे में पटवारी हल्का पोमावा की तथाकथित जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है और लोक अदालत की भावना के अनुरूप सुलभ न्याय के दृष्टिकोण से हमारे विधिक विचारों में कथित प्रार्थना पत्र को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम व अमल दरामद करवाया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का पोमावा को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा पुराडा, पटवार सर्कल पोमावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नं. 605 से बने खसरा नं. 605/1 से लगाय 605/7 का इन्द्राज दिनांक 12.04.2010 के पूर्व नक्शा अनुसार लट्ठा नक्शा ट्रेस में दर्ज करने करे एवं खसरा नं. 605/943 रकबा 0.58 हेक्टर को भौतिक कब्जे अनुसार खसरा नं. 605 के पूर्व दिशा में खाली पडी जगह पर तरमीम किया जावे अर्थात पत्रावली के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मूल नक्शे में तरमीम करके तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करके पालना सुनिश्चित करे। नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 27.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प पोमावा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी * सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner